न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 59/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/205

अनवान्

1. श्रीमती मगुबाई पिता टीला पत्नी कालु डांगी निवासी सांगवा हाल शोभागपुरा तहसील गिर्वा।

.............प्रार्थीया

बनाम

1. श्री भाना पिता टीला डांगी निवासी सांगवा तहसील मावली।
2. श्री हक्मा पिता टीला डांगी निवासी सांगवा तहसील मावली।
3. श्री देवा पिता टीला डांगी निवासी सांगवा तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली।
5. उप पंजीयन अधिकारी मावली तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 22.12.2025

1. प्रार्थींया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1177, 1182, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1214, 1215, 1223 किता 11 कुल रकबा 2.3149 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1127, 1856, 1857, 1858 किता 4 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज हैं। अन्य हिस्सा अन्य खातेदार नवा के नाम 1/4 हिस्सा, सवा के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1117, 1118, 1862, 1864 किता 4 कुल रकबा 11.3636 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/18, 1/18, 1/18 हिस्सा [illegible] व अन्य हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट घ में वर्णित [illegible] 80 [illegible] रकबा 0.0890 हेक्टेयर भूमि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज है व अन्य हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर 1178, 1863 किता 2 कुल रकबा 2.1529 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा तथा अन्य हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट च में वर्णित आराजी नम्बर 1206 रकबा 0.0243 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम 1/24, 1/24, 1/24 हिस्सा दर्ज है व अन्य हिस्सा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि प्रार्थीया व विपक्षीगणों के खानदान का सजरा निम्न है :-

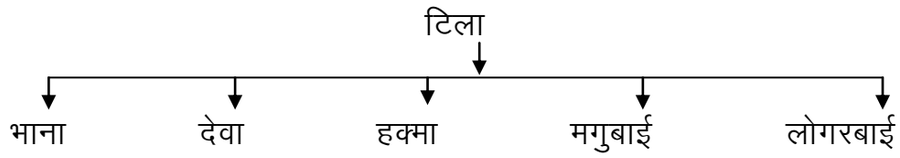

उक्त सजरे में टिला की मृत्यु हो चुकी हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 व लोगरी की मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थीया व विपक्षीगणों के मौरूस टीला के समय से चली आ रही है जिसमें प्रार्थीया का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही हक व अधिकार होकर प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात में प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, लोगरी का 1/5 हिस्सा है तथा परिशिष्ट ख, घ में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/10 हिस्सा, लोगरी का 1/10 हिस्सा है तथा अन्य हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार खातेदार के नाम दर्ज हैं तथा परिशिष्ट ड में प्रार्थीया का 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा, लोगरी का 1/15 हिस्सा है तथा अन्य हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार खातेदार के नाम हैं तथा परिशिष्ट च में प्रार्थीया का 1/40 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/40 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/40 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/40 हिस्सा, लोगरी का 1/40 हिस्सा है तथा अन्य हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थीया व विपक्षीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीया के पिता टीला की मृत्यु के बाद टीला जी की विरासत का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण अपने नाम खुलवा दिया जबकि प्रार्थीया व लोगरीबाई, टीला जी की जायन्दा सन्तान है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थीया को टीला जी की सम्पति में जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 3 ने टिला जी की विरासत अपने अकेले के नाम खुलवा कर वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपने नाम करवा दी जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 को टीला जी की सम्पूर्ण आराजीयात को अपने नाम करवाने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थीया को अपने हिस्से की आराजीयात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है इसलिए घोषणा का वाद पेश कर दिया हैं।

5. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को प्रार्थीया के पिता टीला जी की विरासत से अपने अकेले के नाम दर्ज कराने से तथा वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से विपक्षी संख्या 1 से 3 के मन में लोभ व लालच पैदा हो गया हैं। इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि वाद वर्णित आराजीयात को विपक्षी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय हस्तान्तरण, बैह, बक्षीस नहीं करें, प्रार्थीया को अपने हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीया को अपने हिस्से से फसल लेने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, प्रार्थीया के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न तो विपक्षी स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

6. यह कि प्रार्थीया का प्राइमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीया को काफी नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 08.07.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीया को अपने हिस्से की आराजीयात से कब्जा खाली करने की धमकी दी व विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपने नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विपक्षी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, बैह बक्षीस नहीं करे, प्रार्थीया को अपने हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीया को अपने हिस्से से फसल लेने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, प्रार्थीया के कब्जे काश्त में कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न तो विपक्षी स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें। मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की भूमि मौजा सांगवा तहसील घासा में स्थित होने बाबत् कोई विवाद नहीं हैं तथा उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होकर विपक्षी संख्या 1 से 3 मौके पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है जिसमें प्रार्थीया का या अन्य विपक्षीगण का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नहीं हैं।
8. यह कि प्रार्थना पत्र में दिया गया सजरा गलत होकर अस्वीकार है टीला के भाना, देवा, रूकमा व श्रीमती लोगरी चार ही संतान हैं जिसमें लोगरी विवाहिता होकर अपने ससुराल में वर्षों से निवास कर रही है तथा विपक्षी संख्या 4 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष में छोड दिया था इसलिये विपक्षी संख्या 4 भी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य की श्रेणी में नहीं आते हैं।
9. यह कि प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का अपने पिता टीला जी डांगी से प्राप्त हुई सम्पति में 1/3, 1/3 हिस्सा है। प्रार्थीया ने उक्त वाद पत्र गलत प्रस्तुत किया हैं। टीला की कोई भी पुत्री मौजा शोभागपुरा में शादी नहीं कराई है न ही प्रार्थीया टीला की पुत्री है और न ही प्रार्थीया का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त हैं। प्रार्थीया का वाद बिना अधिकार के होकर चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीया टीला जी डांगी की जाईन्दा संतान नहीं है और न ही प्रार्थीया का टीला जी की सम्पति में कोई हक हिस्सा बनता है। प्रार्थीया ने यह दावा गलत पेश किया है तथा विपक्षी संख्या 4 टीला जी डांगी की पुत्री है लेकिन वो विवाहिता होकर अपने ससुराल में काफी समय से निवास कर रही है इस वजह से कानूनन उसका हिस्सा भी विपक्षी संख्या 1 से 3 में बराबर–बराबर हक से निहित हो गया। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया का दावा बिना अधिकार के होकर प्रार्थीया किसी तरह की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की कानूनन अधिकारी नहीं हैं।
10. यह कि प्रार्थीया किसी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 तक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति से कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं। प्रार्थीया किसी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है एवं प्रार्थीया का उक्त आराजी की भूमि में या उसके किसी भू भाग पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो विपक्षीगण द्वारा उसके कब्जे में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी करने का कथन गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 4 ने किसी तरह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

घोषणात्मक अनुतोष नहीं मांगा गया है न ही न्यायालय में आकर किसी तरह का कोई काउन्टर, वाद पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 4 का भी उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं हैं।

11. यह कि प्रार्थीया को यह वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 से 3 के परिवार की सदस्य नहीं है और न ही प्रार्थीया को यह वाद लाने का कानूनन कोई अधिकार हैं। इसलिए प्रार्थीया का वाद पत्र बिना वाद कारण उत्पन्न हुए चलने योग्य नहीं होकर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् निरस्तनीय हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय अनुतोष व विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि की वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में मेरा भी हक हिस्सा निहित है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूर्व में अपने पिता टीला के नाम दर्ज होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीया टीला की पुत्री है, न ही प्रार्थीया का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। टीला के भाना, देवा, रूकमा [illegible] चार ही संतान हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में उक्त कथनों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम कब व कैसे दर्ज हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हो।

वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार होना जाहिर होता हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 से 3 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 को अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। इस प्रकार खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार होने से अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार है यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 से 3 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग, विकसित करने, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रही हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि की वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहती है परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार के हक अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली के आराजी नम्बर 1177, 1182, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1214, 1215, 1223 किता 11 कुल रकबा 2.3149 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1127, 1856, 1857, 1858 किता 4 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1117, 1118, 1862, 1864 किता 4 कुल रकबा 11.3636 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1180 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1178, 1863 किता 2 कुल रकबा 2.1529 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1206 रकबा 0.0243 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया जिन कथनो के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपनी मौरूसी सम्पति होना बताकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती है उन कथनो के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीया का हित निहित होना प्रतीत हो। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested